राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक एफ.वी.9(1)(4)(9)स्था/ब/सं.बल/2018/880 दिनांक 02/02/2020

नियुक्ति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ पशुपालन सेवा नियम 1977 के अनुसार कार्मिक (क–2 नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.7(2) कार्मिक (क–2) 05 दिनांक 20.01.2006 एवं वित विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प. 16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006, प.6(6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प.16(5)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प.1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं समय–समय पर हुए विभिन्न संशोधनों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 22 की अनुसूची IV, अधिसूचना संख्या एफ.14(1)एफडी (रूल्स) 2013–II, दिनांक 28.08.2013 एवं अधिसूचना संख्या एफ.15(1)एफडी (रूल्स)/2017, दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत पशुधन सहायक के पद पर पे–लेवल 8 में कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी (Probation Trainee) के रूप में रू. 18500/–प्रतिमाह पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की दर पर नियुक्ति हेतु राजस्थान अधीनस्थ एंव मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड़ के पत्रांक प.14(67)(1)RSMSSB/अर्थना/पशुपा./पशु.सहा./पात्रता–जांच/2018/1620 दिनांक 17.01.2020 के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची में से अनुसूचित क्षेत्र के 231 अभ्यार्थियों का पदस्थापन निम्न शर्तों पर किया जाता है :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है।
2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।
3. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चाल चलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त के अध्याधीन की जा रही है। इसके लिए कार्यभार सम्भालने की दिनांक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् ही कार्य ग्रहण किया जा सकेगा।
4. कार्मिक (A-Gr.II) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-1(5)DOP/A-2/17 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार अभ्यार्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व निर्धारित Attestation Form तथा Self Declaration प्रस्तुत करना होगा। अभ्यार्थी के पुलिस विभाग के रिकार्ड के अनुसार चरित्र सत्यापन सही नही होने अथवा Self Declaration में झूठी सूचना दिये जाने की स्थिति में इस अस्थायी नियुक्ति आदेश को तत्काल निरस्त किया जाकर आपराधिक/कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
5. विवाहित अभ्यार्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं दिनांक 01.06.2002 एवं इसके पश्चात् 2 से अधिक सन्तान उत्पन्न होने सम्बन्धी रू. 50/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नही होगी।
7. उक्त परीविक्षा अवधि में अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि विशेष राजस्थान सेवा नियम में संशोधित प्रावधानों के